

न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : अरूण कुमार पुरोहित, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 04 / 2023

अपीलांट-

प्रोटिनेक्स एडवांस फीड इण्डस्ट्रीज,
प्रथम फेज, जी-203, रीको
औद्योगिक क्षेत्र, बाड़मेर जरिये
पार्टनर- श्रवणकुमार पुत्र डूंगरमल
जाति महेश्वरी निवासी एसडीएम
हाउस, लक्ष्मीपुरा, राय कॉलोनी
बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स-

1. तहसीलदार बाड़मेर
2. तनसिंह पुत्र दीपसिंह जाति
राजपूत निवासी महाबार पीथल
तहसील व जिला बाड़मेर
3. महेन्द्रसिंह पुत्र तनसिंह जाति
राजपूत निवासी महाबार पीथल
तहसील व जिला बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
विरुद्ध नामान्तरकरण सं. 333 दिनांक 03.12.2021 जो तहसीलदार
बाड़मेर द्वारा स्वीकृत किया गया।

राजस्व अपील सं. 05 / 2023

अपीलांट-

प्रोटिनेक्स एडवांस फीड इण्डस्ट्रीज,
प्रथम फेज, जी-203, रीको
औद्योगिक क्षेत्र, बाड़मेर जरिये
पार्टनर- श्रवणकुमार पुत्र डूंगरमल
जाति महेश्वरी निवासी एसडीएम
हाउस, लक्ष्मीपुरा, राय कॉलोनी
बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स-

1. तहसीलदार बाड़मेर
2. रेखाराम पुत्र हेमाराम जाति भील
निवासी सांसियों का तला
तहसील व जिला बाड़मेर
3. महेन्द्रसिंह पुत्र तनसिंह जाति
राजपूत निवासी महाबार पीथल
तहसील व जिला बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
विरुद्ध नामान्तरकरण सं. 334 दिनांक 03.12.2021 जो तहसीलदार
बाड़मेर द्वारा स्वीकृत किया गया।

उपस्थिति :- उपर्युक्त दोनो ही अपीलों में-

1. श्री कुन्दनसिंह, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. श्री सुरेश पूनड़, अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2व3 की ओर से उपस्थित।
3. रेस्पोडेंट सं. 1 प्रफॉर्मा पक्षकार।



जिला कलक्टर
बाड़मेर

निर्णय

दिनांक : 30.06.2023

1. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत उपर्युक्त दोनो ही अपीलों में समान पक्षकार एवं समान विषयवस्तु होने से इनका एक ही संयुक्त निर्णय द्वारा निस्तारण किया जा रहा है। निर्णय ही एक-एक हस्ताक्षरशुदा प्रति प्रत्येक अपील पत्रावली पर रखी जावें।
2. अपीलांट की ओर से यह अपीलें धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत ग्राम सांसियों का तला के नामान्तरकरण सं. 333 व 334 पर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 03.12.2021 के विरुद्ध दिनांक 17.03.2023 को प्रस्तुत की गई हैं।
3. प्रस्तुत अपीलों के संक्षिप्त तथ्य यह है कि मौजा सांसियों का तला के खसरा नम्बर 1920/801, 1940/801, 1942/801 रकबा क्रमशः 01-00, 00-08-10, 01-00 बीघा किस्म गैर मुमकीन आवासीय भूमि रेस्पोंडेंट सं. 2 तनसिंह पुत्र दीपसिंह जाति राजपूत निवासी महाबार पीथल के नाम राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज थी। रेस्पोंडेंट सं. 2 द्वारा अपने नाम दर्ज भूमि का भिन्न-भिन्न समय में विभिन्न क्रमतर विक्रय पत्रों के द्वारा अंतिम रूप से अपीलांट के पक्ष में हस्तान्तरित हो गई थी। इसके बावजूद रेस्पोंडेंट सं. 2 ने राजस्व रेकॉर्ड में अपने नाम इन्द्राज होने से भूमि का एक पंजिबद्ध भेंटपत्र अपने पुत्र रेस्पोंडेंट सं. 3 के पक्ष में निष्पादित कराया तथा इसके आधार तहसीलदार बाड़मेर ने अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 333 दायर कर दिनांक 03.12.2021 को स्वीकृत कर दिया। अपीलांट द्वारा उक्त नामान्तरकरण सं. 333 के विरुद्ध अपील सं. 04/2023 इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं। इसी प्रकार ग्राम सांसियों का तला के खसरा नम्बर 1939/801 रकबा 02-00 बीघा गैर मुमकीन औद्योगिक भूमि रेस्पोंडेंट सं. 2 रेखाराम पुत्र हेमाराम जाति भील निवासी सांसियों का तला के नाम जमाबन्दी में दर्ज थी। रेस्पोंडेंट सं. 2 द्वारा उक्त भूमि का पंजिबद्ध विक्रय पत्र के द्वारा मफी देवी पत्नी मोहनलाल जाति जैन निवासी जूना किराडू मार्ग बाड़मेर के पक्ष में तथा मफी देवी द्वारा पंजिबद्ध विक्रय पत्र के द्वारा अपीलांट के पक्ष में हस्तान्तरित कर दी गई थी। इसके बावजूद रेस्पोंडेंट सं. 2 रेखाराम ने राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी में अपने नाम के इन्द्राज के आधार पर उक्त विवादित भूमि का पुनः विक्रय पत्र रेस्पोंडेंट सं. 3 के पक्ष में निष्पादित कर दिया। इस विक्रय पत्र के आधार पर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा नामान्तरकरण



↓
जिला कलेक्टर
बाड़मेर

सं. 334 दायर कर दिनांक 03.12.2021 को स्वीकृत कर दिया गया। अपीलांट ने उक्त नामान्तरकरण सं. 334 के विरुद्ध अपील सं. 05/2023 इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं। उक्त दोनो अपीलें मयाद बाहर होने से अपीलों के संलग्न धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने का निवेदन किया है।

4. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन मूल नामान्तरकरण मंगवाया जाकर अवलोकन किया।
5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्षकारान की ओर से उपस्थित अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट्स के अधिवक्ता ने प्रकट किया कि मौजा सांसियों का तला के खसरा नम्बर 1920/801, 1940/801, 1942/801 रकबा क्रमशः 01-00, 00-08-10, 01-00 बीघा किस्म गैर मुमकीन आवासीय भूमि रेस्पोंडेंट सं. 2 तनसिंह पुत्र दीपसिंह जाति राजपूत निवासी महाबार पीथल के नाम राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज थी। रेस्पोंडेंट सं. 2 द्वारा अपने नाम दर्ज भूमि का भिन्न-भिन्न समय में विभिन्न क्रमतर विक्रय पत्रों के द्वारा अंतिम रूप से अपीलांट के पक्ष में हस्तान्तरित हो गई थी। इसी प्रकार ग्राम सांसियों का तला के खसरा नम्बर 1939/801 रकबा 02-00 बीघा गैर मुमकीन औद्योगिक भूमि रेस्पोंडेंट सं. 2 रेखाराम पुत्र हेमाराम जाति भील निवासी सांसियों का तला के नाम जमाबन्दी में दर्ज थी। रेस्पोंडेंट सं. 2 द्वारा उक्त भूमि का पंजिबद्ध विक्रय पत्र के द्वारा मफी देवी पत्नी मोहनलाल जाति जैन निवासी जूना किराडू मार्ग बाड़मेर के पक्ष में तथा मफी देवी द्वारा पंजिबद्ध विक्रय पत्र के द्वारा अपीलांट के पक्ष में हस्तान्तरित कर दी गई थी। इसके बावजूद रेस्पोंडेंट सं. 2 तनसिंह व रेखाराम द्वारा राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी में अपने नाम के इन्द्राज के आधार पर उक्त विवादित भूमि को पुनः हस्तान्तरित करते हुए भेंट पत्र एवं विक्रय पत्र रेस्पोंडेंट सं. 3 के पक्ष में निष्पादित करवा दिये गये। इस प्रकार रेस्पोंडेंट सं. 2 तनसिंह व रेखाराम द्वारा धोखे एवं कपटपूर्वक पूर्व में विक्रय की गई भूमि को पुनः हस्तान्तरित किया गया एवं अधीनस्थ तहसीलदार बाड़मेर द्वारा भी खातेदारी से संपरिवर्तन होकर गैर मुमकीन आवासीय एवं औद्योगिक किस्म की भूमि के नामान्तरकरण विधिविरुद्ध तरीके से स्वीकृत करते हुए जमाबन्दी



किला कलेक्टर
बाड़मेर

में इन्द्राज कर दिया। इस आधार पर अपीलाधीन दोनो ही नामान्तरकरण कपटपूर्वक हस्तान्तरण एवं नियम विरुद्ध कार्यवाही होने से निरस्त योग्य हैं।

6. अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 333 व 334 की अपीलांट को पूर्व में ज्ञान नहीं था तथा अरसा एक माह पूर्व जब अपनी खरीदशुदा भूमि पर ऋण प्राप्त करने के लिए हल्का पटवारी से सम्पर्क कर राजस्व रेकर्ड की प्रति प्राप्त की तब सर्वप्रथम ज्ञात हुआ कि उक्त भूमि रेस्पोंडेंट सं. 3 के नाम दर्ज हैं। इस पर अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 333 व 334 की प्रमाणित नकलें मांगी जो दिनांक 15.03.2023 को प्राप्त हुई। इस प्रकार अपीलाधीन नामान्तरकरणों की सर्वप्रथम जानकारी होने से उक्त दोनो ही अपीलें जानकारी होने से अन्दर मयाद प्रस्तुत की गई हैं। अपीलाधीन नामान्तरकरण धोखे एवं कपटपूर्वक बेचान के आधार पर स्वीकृत किये गये हैं जो आरम्भ से शुन्य एवं अवैध होने से इसके विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने की कोई मयाद निर्धारित नहीं हैं, किन्तु कानूनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु अपील पेश करने में हुए सद्भाविक विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना-पत्र एवं शपथ-पत्र प्रस्तुत किये जा रहे हैं। लिहाजा अपीलें प्रस्तुत करने में हुए सद्भाविक विलम्ब को क्षमा करते हुए अन्दर मयाद शुमार की जावें तथा उपर्युक्त उल्लेखित आधारों पर प्रस्तुत अपीले स्वीकार करते हुए अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त फरमाये जावें।

7. रेस्पोंडेंट सं. 2 व 3 की ओर से अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत अपीलों के तथ्यों को स्वीकार करते हुए तार्ईद की गई तथा जवाब में प्रकट किया है कि रेस्पोंडेंट सं. 3 के पक्ष में हुए हस्तान्तरण भूलवश हुए हैं। रेस्पोंडेंट सं. 2 की कोई बदनियती नहीं थी बल्कि भूलवश हुए हस्तान्तरण के आधार पर स्वीकृत अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किये जाते हैं तो रेस्पोंडेंट सं. 2 व 3 को कोई आपत्ति नहीं है।

हमने अधिवक्ता अपीलांट एवं रेस्पोंडेंट्स द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन नामान्तरकरण का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि ग्राम सांसियों का तला के खसरा नम्बर खसरा नम्बर 1920/801, 1940/801, 1942/801 रकबा क्रमशः 01-00, 00-08-10, 01-00 बीघा किस्म गैर मुमकीन आवासीय एवं खसरा नम्बर 1939/801 रकबा 02-00 बीघा गैर मुमकीन औद्योगिक भूमि का क्रमतर विक्रय पत्रों के द्वारा अंतिम रूप से हस्तान्तरण अपीलांट के पक्ष में हो गया था। इस प्रकार



2
जिला कलेक्टर
बाड़मेर

प्रथम तो रेस्पोंडेंट सं. 2 तनसिंह व रेखाराम को भूमि हस्तान्तरण का कोई अधिकार नहीं था। जहां तक अपीलें प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब का प्रश्न है तो अपीलाधीन नामान्तरकरण पूर्व में विक्रय की गई भूमि के पुनः विक्रय/हस्तान्तरण के आधार पर दायर हुए हैं जिसके सम्बन्ध में रेस्पोंडेंट्स ने भूलवश होने के तथ्य को स्वीकार किया है ऐसे में अपीलाट्स को इसकी जानकारी तत्समय नहीं होने विलम्ब का कारण सद्भाविक प्रतीत होता है। लिहाजा अपीलाट्स की ओर से प्रस्तुत अपीलों के प्रस्तुतीकरण में हुए विलम्ब को क्षमा कर अन्दर मयाद शुमार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। इसके अलावा अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 333 व 334 में अंकित भूमि खातेदारी की न होकर गैर मुमकीन आवासीय एवं गैर मुमकीन औद्योगिक हैं, जिसका हस्तान्तरण किये जाने पर नियमानुसार नामान्तरकरण दायर नहीं किया जा सकता है। राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 12 के अनुसार खातेदारी से संपरिवर्तन के पश्चात होने वाले हस्तान्तरणों का हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरकरण दायर नहीं किया जाकर तहसील कार्यालय में पृथक से संधारित नामान्तरकरण पंजिका में ही इन्द्राज किया जाना चाहिए। इसके बावजूद अधीनस्थ तहसीलदार बाड़मेर द्वारा नियम विरुद्ध अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत किये गये हैं। इस प्रकार अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृति करने में उक्त विधिक भूल की गई है, जिसके आधार पर अपीलाधीन दोनो ही नामान्तरकरण निरस्त योग्य हैं।

9. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलाट द्वारा प्रस्तुत यह दोनो ही अपीलें स्वीकार की जाकर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा मौजा सांसियों का तला के स्वीकृत नामान्तरकरण सं. 333 एवं 334 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार बाड़मेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विवादित भूमि के सम्बन्ध में हुए संपरिवर्तन एवं हस्तान्तरण से सम्बन्धित समस्त क्रमबद्ध दस्तावेजों को रेकॉर्ड पर लेते हुए नामान्तरकरण की कार्यवाही कर नियमानुसार राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी में इन्द्राज कर प्रकरण का निस्तारण किया जावे।



निर्णय आज दिनांक 30.06.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरुण कुमार पुरोहित)

जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर

12.07.23

अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर पत्रावली अभिलेखागार से बरामद की गई। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 30.06.2023 में अपीलाधीन नामान्तरकरण मौजा मुरटाला गाला के स्थान पर सांसियों का तला टंकण की भूलवश अंकित हो गया है। अतः न्यायहित में उक्त लिपिकीय भूल का सुधार किया जाकर निर्णय में संशोधन किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थना-पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील के निर्णय दिनांक 30.06.2023 में अंकित अपीलाधीन नामान्तरकरण के गांव का नाम लिपिकीय भूलवश गलत अंकित कर दिया गया है। यह एक लिपिकीय भूल है जिसे प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अनुसार दुरुस्त किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

अतः प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 30.06.2023 में अपीलाधीन नामान्तरकरण मौजा सांसियों का तला के स्थान अपीलाधीन नामान्तरकरण मौजा मुरटाला गाला अंकित करते हुए त्रुटि सुधार किया जाता है। यह आदेश मूल निर्णय दिनांक 30.06.2023 का भाग रहेगा। तहसीलदार बाड़मेर को संशोधन आदेश की सत्यप्रति सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हों। पत्रावली पुनः दाखिल दफ्तर हों।

जिला कलक्टर
बाड़मेर